न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/667

मिसल नम्बर– 100 / 2025

1.मनोरंजन पाईक आत्मज गौरचंद पाईक आयु 60 वर्ष निवासी हाल श्री करणी नगर विकास समिति झालावाड़ रोड, कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.कमल पाईक आत्मज मनोरंजन पाईक
2.रीता उर्फ रितिका पत्नी कमल पाईक निवासीगण मकान नं0 49 विनायक रेजीडेन्सी कंसुआ थाना उद्योगनगर कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 11/5/26

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अजय शर्मा अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी 60 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है एवं अधिकतर समय बीमार रहता है प्रार्थी ने अपने जीवन पर्यन्त की संपूर्ण कमाई आपने बच्चो की पढाई लिखाई शादी विवाह आदि मे खर्च कर दी एवं अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित एक मकान वाके प्लाट नं० 49 श्री विनायक रेजीड़ेन्सी कंसुआ कोटा मे बनाया जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण निवास करते है। अप्रार्थी नं० 1 प्रार्थी का पुत्र व अप्रार्थी नं० 2 पुत्रवधु है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की स्वअर्जित आय से निर्मित मालिकाना हक वाले मकान पर कब्जा कर प्रार्थी को घर से बाहर निकाल दिया एवं प्रार्थी वर्तमान मे करणी नगर विकास समिति वृद्धाआश्रम में निवास कर रहा है अप्रार्थीगण प्रार्थी के प्रति अपने दायित्वो का निर्वहन नही कर रहे है एवं अप्रार्थी आए दिन गाली गलौच एवं मार्पीट कर उक्त मकान को हडपने की नियत से प्रार्थी पर दबाव बनाते है कि प्रार्थी अपने स्वामित्व के उक्त मकान को अप्रार्थीगण के नाम करे किन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा नही करने पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को दर बदर की ठोकरे खाने के लिए घर से निकाल दिया। प्रार्थी अधिकतर बीमार रहता है और प्रार्थी के कोई आय का साधन भी नही है प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सरकारी पेंशन आदि भी नही मिलती है जिसके कारण प्रार्थी के भूखो मरने की नौबत आ गयी है। अप्रार्थी नं० 1 अपना किराने का व्यवसाय करता

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है और मासिक आमदनी के रूप मे लगभग 1,00,000/रू कमा लेता है जबकि प्रार्थी अधिकतर समय बीमार रहता है और उसकी वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई काम करने मे असमर्थ है। इस प्रकार उसका आय का कोई साधन नही है और एक मात्र प्रार्थी का आसरा उसका मकान भी अप्रार्थीगण ने छीन लिया है। अप्रार्थीगण के साथ उक्त मकान में प्रार्थी के रहने पर कभी भी कोई बडी अनहोनी घटना अप्रार्थीगण द्वारा कारित की जा सकती है इसलिए अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखल किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी हारी बीमारी व खानी पीने व गुजर बसर के लिए मासिक 10–15 हजार रूपये अप्रार्थीगण से दिलाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को मासिक भरण पोषण के रूप मे 10–15 हजार रूपये दिलाए जाने के आदेश प्रदान करे एवं प्रार्थी के स्वामित्व के मकान नंबर 49, विनायक रेजीडेन्सी से अप्रार्थीगण को बेदखाल कर प्रार्थी को वृद्धाश्रम से उसके मकान मे पुलिस सुरक्षा के साथ भिजवाए जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी जो कि अप्रार्थी कम 1 की मां है,उससे पूर्व मे तलाक ले लिया था ओर अपने बच्चो से भी अलग निवास कर रहा था, प्रार्थी ने कभी भी अपने बच्चो का पालन पोषण नही किया न ही अपने पिता के कर्तव्यो का निर्वहन किया है, उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित आय से निर्मित नही है,उक्त मकान के लिए प्रार्थी ने अपने पुत्र व पुत्रवधु से पैसे लिये तथा पुत्र ने भी अपने कर्तव्यो का पालन करते हुए व अपने पिता को अपने साथ मे रखकर उनकी सेवा सुश्रषा करने के लिए अपने पिता को उक्त मकान को क्रय करने के लिए पैसे दिये थे। अप्रार्थीगण अपने पुत्र व पुत्रवधु होने के दायित्व का पूर्ण रूप से पालन कर रहे है, लेकिन प्रार्थी के मन मे उक्त मकान को लेकर लालच आ जाने से मनगढन्त कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में झुठे असत्य तथ्यो पर पेश किया है, जिस समय अप्रार्थी कम 1 अपने पत्नी अप्रार्थीया कम 2 के पीहर मे करनाल हरियाणा मे था उस दौरान प्रार्थी स्वयं ही उक्त मकान के कमरे पर ताला लगाकर वृद्धाआश्रम जाकर रहने लगा ,जब अप्रार्थीगण वापस कोटा आये तो उन्होने प्रार्थी से ऐसा करने का कारण पूछा व घर पर जाकर निवेदन किया लेकिन प्रार्थी साथ आने को तैयार नही हुआ व जिद पकडकर वृद्धाआश्रम में ही रह रहे है। अप्रार्थी ने पूर्व मे किराने का व्यवसाय चालू किया था लेकिन व्यवसाय मे नुकसान हो जाने के कारण वर्तमान में प्रार्थी प्राईवेट मार्केटिंग का काम करता है, ओर बामूश्किल 8000 रूपया प्रतिमाह कमाता है, अप्रार्थी के उपर अपनी पत्नी व हाल ही मे पैदा हुआ पुत्र आयु 6 माह की जिम्मेदारी अप्रार्थी पर है. इसके अलावा अपनी मां जो कि बड़े भाई के पास रहती है.उनकी भी देखरेख सेवा सुश्रषा करता है, ओर मां के लिए अपने पुत्र के कर्त्तव्यो का निर्वहन करते हुए खर्चा देता है, प्रार्थी का पूर्व में ठेके का व्यवसाय था,जिसकी राशि उसने विभिन्न बैंको व शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है,तथा प्रार्थी बाजार पर पैसे देने का कार्य भी करता है प्रार्थी के पास आय के पर्याप्त साधन है,और प्रार्थी की जीविकार्पाजन हेतु पर्याप्त आय है इसके अतिरिक्त भी अप्रार्थीगण, प्रार्थी को अपने साथ रखकर सेवा सुश्रषा करने के लिए हमेशा तैयार तत्पर रहे है। प्रार्थी अपनी हठधर्मिकता व

उपखण्ड अधिकारी
को.

मकान के लालच के कारण उनके साथ निवास करने को तैयार नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी जो कि अप्रार्थी क्रम 1 की मां है,उससे पूर्व मे तलाक ले लिया था ओर अपने बच्चो से भी अलग निवास कर रहा था, प्रार्थी ने कभी भी अपने बच्चो का पालन पोषण नही किया न ही अपने पिता के कर्तव्यो का निर्वहन किया है, तथा प्रार्थी ने अन्य महिला से पुर्नविवाह कर लिया था ओर प्रार्थी ने उसी के साथ जीवनयापन किया है,प्रार्थी की वृद्धावस्था मे उक्त महिला प्रार्थी को छोड़कर चली गयी तो प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 के पास आया जिस समय प्रार्थी की तबीयत खराब होने पर अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अस्पताल में इलाज करवाकर प्रार्थी की सेवा सुश्रषा की तथा पुत्र व पिता प्रेम के कारण अपने साथ रखने को तैयार हो गुया लेकिन प्रार्थी ने इसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी से कहा कि तेरा विवाद तय हो गया है,अपन दोनो मकान खरीद कर साथ में निवास करते है,अप्रार्थी कम 1 भी उक्त बात के लिए तैयार हो गया अपनी होने वाली पत्नी से सलाह करके व उनकी जुडी रकम लेकर व अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने पास की जुडी रकम को इकठठा करके प्रार्थी को मकान खरीदने के लिए दी उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित आय से निर्मित नही है,उक्त मकान के लिए प्रार्थी ने अपने पूत्र व पूत्रवधु से पैसे लिये तथा पुत्र ने भी अपने कर्तव्यो का पालन करते हुए व अपने पिता को अपने साथ में रखकर उनकी सेवा सश्रषा करने के लिए अपने पिता को उक्त मकान को क्रय करने के लिए पैसे दिये थे। प्रार्थी ने सम्पति के लालचवश जर्ये अधिवक्ता दिनांक 10.12.2025 को नोटिस प्रेषित कराया जिसमे प्रार्थी ने अंकित किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1 को दुकान खुलवाने के लिए पैसे देने व फीज फाईनेन्स करवाने की झुठी व असत्य बाते अंकित तथा नोटिस की हिदायत मे अंकित किया कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर रूपया की मांग की जो नोटिस अप्रार्थी क्रम 1 को प्राप्त हो गया लेकिन उक्त नोटिस की अवधि 15 दिन पूर्ण होने के पहले ही प्रार्थी से लालचवश नई कहानी बनाकर उक्त मुकदमा झूठे असत्य तथ्यों पर माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया अप्रार्थीगण अपने पूत्र व पुत्रवधु होने के दायित्व का पूर्ण रूप से पालन कर रहे है,लेकिन प्रार्थी के मन मे उक्त मकान को लेकर लालच आ जाने से मनगढन्त कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में झूठे असत्य तथ्यो पर पेश किया है, जिस समय अप्रार्थी क्रम 1 अपने पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 के पीहर मे करनाल हरियाणा मे था उस दौरान प्रार्थी स्वयं ही उक्त मकान के कमरे पर ताला लगाकर वृद्धाआश्रम जाकर रहने लगा जब अप्रार्थीगण वापस कोटा आये तो उन्होने प्रार्थी से ऐसा करने का कारण पूछा व घर पर जाकर साथ रहने का निवेदन किया लेकिन प्रार्थी साथ आने को तैयार नही हुआ व जिद पकड़कर वृद्धाआश्रम में ही रह रहे है। अप्रार्थी ने पर्व मे किराने का व्यवसाय चालू किया था लेकिन व्यवसाय मे नुकसान हो जाने के कारण वर्तमान में प्रार्थी प्राईवेट मार्कटिंग का काम करता है,ओर बामुश्किल 8000रूपया प्रतिमाह कमाता है,अप्रार्थी के उपर अपनी पत्नी व हाल ही मे पैदा हुआ पुत्र आयु 6 माह की जिम्मेदारी अप्रार्थी पर है,इसके अलावा अपनी मां जो कि बड़े भाई के पास रहती है,उनकी भी देखरेख सेवा सुश्रषा करता है,ओर मां के लिए अपने पुत्र के कर्तव्यो का निर्वहन करते हुए खर्चा देता है,प्रार्थी का पूर्व में ठेके का व्यवसाय था,जिसकी राशि उसने विभिन्न बैंको व शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है.तथा प्रार्थी ब्याज पर पैसे देने का कार्य भी करता है. प्रार्थी के पास आय के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पर्याप्त साधन है,ओर प्रार्थी की जीविकार्पाजन हेतु पर्याप्त आय है,इसके अतिरिक्त भी अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने साथ रखकर सेवा सुश्रषा करने के लिए हमेशा तैयार तत्पर रहे है। प्रार्थी अपनी हठधर्मिकता व मकान के लालच के कारण उनके साथ निवास करने को तैयार नही है। अतःजवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने साथ रखकर अपने पुत्र व पुत्रवधु के कर्तव्यो का निर्वहन करने को तैयार तत्पर है। अप्रार्थी कम 1 की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अप्रार्थी कम 1 का कोई स्थायी जॉब नही है,8000रूपया भी टारगेट पूरा होने पर प्राप्त होते है,अन्यथा कोई राशि प्राप्त नही होती है, अप्रार्थीया कम 2 भी किसी तरह का कोई काम धन्धा नही जानती है, उसकी कोई आय नही है,वह अप्रार्थी कम 1 पर ही निर्भर है।

बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी आए दिन गाली गलौच एवं मारपीट कर उक्त मकान को हडपने की नियत से प्रार्थी पर दबाव बनाते है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को दर बदर की ठोकरे खाने के लिए घर से निकाल दिया। अप्रार्थीगण दुकान से लगभग 1,00,000/रू मासिक की आय प्राप्त कर लेते है और संपूर्ण आय को अपने व्यसनो पर खर्च कर देते है। आय का प्र्याप्त स्रोत होने के कारण अप्राथीगण प्रार्थी को 10–15 हजार रूप्ये मासिक भरण पोषण राशि अदा करने में सक्षम है। प्रार्थी के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया गया कि वर्तमान में प्राईवेट मार्केटिग का काम करता है, ओर बामुश्किल 8000 रूपया प्रतिमाह कमाता है। अप्रार्थीगण अपे पुत्र व पुत्रवधु होने के दायित्व का पूर्ण रूप से पालन कर रहे है।

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट कर घर से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान प्लाट नम्बर 49 श्री विनायक रेजीडेन्सी कंसुआ कोटा से बेदखल करने के पर्याप्त कारण पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के कारण बेदखली बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

प्रार्थी का कथन रहा है कि अप्रार्थीगण दुकान से लगभग 1,00,000/रू मासिक की आय प्राप्त कर लेते है। जिस कारण अप्राथीगण प्रार्थी को 10–15 हजार रूप्ये मासिक भरण पोषण राशि अदा करने में सक्षम है। आय के सम्बंध में अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि वर्तमान में प्राईवेट मार्केटिग का काम करता है, ओर बामुश्किल 8000 रूपया प्रतिमाह कमाता है। जिसका प्रार्थी द्वारा खण्डन नहीं किया गया है और ना सही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिसे यह प्रमाणित हो सके की अप्रार्थीगण की आय 1,00,000/– प्रतिमाह हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थी कम 1 को आदेशित किया जाता है कि अपनी पिता को 2,500/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों। साथ ही न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी को वर्णित मकान प्लाट नम्बर 49 श्री विनायक रेजीडेन्सी कंसुआ कोटा से बेदखल नहीं करे, प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 11/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा